8 राज्य • 2 केंद्रशासित प्रदेश • 21 संस्करण

अमर उजाला

लखनऊ
बुधवार, 10 जून 2020

गोहत्या पर 10 वर्ष तक कैद

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गोहत्या कानून को और सख्त करते हुए सजा को न सिर्फ बढ़ा दिया, बल्कि गोवंश को शारीरिक नुकसान पर भी सजा का प्रवधान कर दिया है। गोहत्या पर अब 3 से 10 साल की सजा व गोवंश को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर 1-7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उप्र. गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विधानमंडल सत्र न होने के मद्देनजर अध्यादेश पारित करने का निर्णय किया गया है। इसका मकसद गोवध निवारण अधिनियम 1955 को अधिक प्रभावी बनाना, गोवंश की रक्षा व गोकशी की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना है। गोकशी के लिए अभी 7 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। ऐसी घटनाओं में आसानी से जमानत हो जाने से मामले बढ़ रहे हैं। अध्यादेश के अनुसार, कानून के उल्लंघन पर अभियुक्त के नाम व फोटो उसके मोहल्ले में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। ब्यूरो >> संबंधित पेज ९ पर

गोवंश को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर भी सजा, अभियुक्तों के पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगेंगे

गोमांस परिवहन पर चालक व मालिक भी आरोपी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत गोवंश अथवा गोमांस के परिवहन के मामलों में प्रयोगशाला में पुष्टि होने पर गाड़ी के चालक, ऑपरेटर और परिवहन से संबंधित स्वामी को आरोपित किया जाएगा, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उसकी जानकारी के बिना अपराध में शामिल साधन का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है। वहीं बरामद गोवंश के एक साल या गोवंश निर्मुक्त किए जाने तक भरण पोषण खर्च की वसूली भी अभियुक्त से की जाएगी। इसके अलावा नए प्रावधान में जुर्माना भी कम से कम 3 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपये कर दिया है। एक ही अपराध दो बार किया जाता है, तो अभियुक्त को दोहरा दंड मिलेगा। गोवंश को शारीरिक क्षति पहुंचाने या अंग भंग करने पर सजा के साथ एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ब्यूरो